

राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार – कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/2010/ 10]

दिनांक : 23/4/10

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन-जयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/
उदयपुर/कोटा/भरतपुर।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :- 3rd Live Conference on Complex coronary angioplasty के क्रम में इच्छुक फिजिशियन शामिल होने बाबत।

सन्दर्भ :- शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.17(52)चिस्वा/ग्रुप-2/02 जयपुर दि० 22.02.10 के सन्दर्भ में

— :: — :: —

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राप्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख हैं कि जयपुर हार्ट इन्स्टीट्यूट, लालकोठी, जयपुर द्वारा उक्त कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिनांक 10-11 अप्रैल 2010 को होटल रामबाग पैलेस, एस0एम0एस0 कन्वेन्सन सेन्टर, जयपुर में आयोजन किया जा रहा हैं।

अतः आपके अधीन समस्त फिजिशियन्स चिकित्सकों में से जो इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होना चाहे राज्य सरकार द्वारा कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले चिकित्सकों को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा, सिर्फ राजस्थान सिविल सेवा नियम 7(8)(बी)(आई) के तहत कर्तव्य (ड्यूटी) पर माना जावेगा बशर्ते की वे कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का प्रमाण पत्र वहां से लेकर संबंधित नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/2010/ 10]

दिनांक : 23/4/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक प.17(52)चिस्वा/ग्रुप-2/02 जयपुर दि० 22.02.10 के सन्दर्भ में।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें। *इके अ. ग. र. म. अ.*
3. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।